

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092025-266558 CG-DL-E-30092025-266558

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 625] No. 625]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 2025/आश्विन 3, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025/ASVINA 3, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली. 24 सितम्बर. 2025

सा.का.नि. 709(अ).— निम्नलिखित मसौदा नियम, जिन्हें व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 23 और 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार बनाने का प्रस्ताव करती है, को धारा 134 की उप धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा अधिसूचना पर उस तारीख से 45 दिनों की अविध की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा, जिस तारीख को राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, आम जन के लिए उपलब्ध करा दी जाती हैं; आपत्तियां और सुझाव, यि कोई हों, को श्री रविशंकर निराला, अवर सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कमरा संख्या: 17, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को अथवा ईमेल (fas@dgfasli.nic.in तथा ravis.nirala@nic.in) द्वारा भेजा जा सकता है। आपत्तियां और सुझाव एक प्रोफार्मा में भेजे जाएँ जिसमें कॉलम (i) में व्यक्तियों और संगठनों के नाम और पते का उल्लेख हो, कॉलम (ii) में उस नियम या उपनियम का उल्लेख हो जिसे संशोधित करने का प्रस्ताव है, तथा कॉलम (iii) में प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधित नियम या उपनियम और उसके कारणों का उल्लेख हो; उक्त मसौदा अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति या संगठन से ऊपर निर्दिष्ट 45 दिनों की अविध समाप्त होने से पहले प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्मकारों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 की धारा 23 और 24 के अंतर्गत विहित मसौदा नियम।

6404 GI/2025 (1)

- **1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** (i) इन नियमों का नाम व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 की धारा-23 और 24 के अंतर्गत **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्मकार नियम**, 202..... है।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।
- (iii) ये व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 के प्रारंभ होने की तारीख पर राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषा.- (i) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
  - (क) "संहिता" से व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 अभिप्रेत है;
  - (ख) "प्रभारी कैंटीन अधिकारी" से वह व्यक्ति (प्रबंधक के अलावा) अभिप्रेत है जिसे अधिष्ठाता, नियोक्ता अथवा एजेंट द्वारा संहिता के अंतर्गत कैंटीनों के संबंध में प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया है।
  - (ग) "धारा" से संहिता की धारा अभिप्रेत है।
  - (घ) "संलग्नक" से इन नियमों से संलग्न सूची अभिप्रेत है;
  - (ii) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु वे संहिता में हैं, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो संहिता में दिए गए हैं।
- धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन सफाई और स्वच्छता:- प्रत्येक भवन एवं अन्य सिन्नर्माण कर्मकारों का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-
  - 1. प्रत्येक भवन या अन्य निर्माण कार्य स्थल को उसके परिसर और परिवेश सहित स्वच्छ रखा जाए और स्वच्छ और स्वास्थ्य परक स्थिति में बनाए रखा जाए।
  - 2. सामग्री और उपकरणों के उचित भंडारण के लिए जगह प्रदान की जाए।
  - 3. स्क्रैप, अपशिष्ट और मलबे को उचित अंतराल पर हटा दिया जाए।
  - 4. खुली सामग्री जो उपयोग के लिए आवश्यक नहीं है, उसे साइट पर नहीं रखा जाए या जमा होने की अनुमित नहीं दिया जाए ताकि कार्यस्थलों और मार्गों तक पहुंच और निकास के साधनों में बाधा उत्पन्न न हो।
  - 5. फिसलन वाले कार्यस्थलों और मार्गों को साफ किया जाए या रेत, बुरादा, राख या इसी तरह की सामग्री डाली जाए।
  - 6. जहां भवन और अन्य निर्माण कार्यों के दौरान फर्श गीला हो जाता है, वहां प्रभावी जल निकासी बनाए रखी जाए, सूखी और फिसलन रहित स्थिति में रखी जाए और कर्मचारियों को उपयुक्त एंटी-स्किड जूते निशुल्क प्रदान किए जाए।
  - 7. प्रभावी पर्यवेक्षण के तहत हर प्रकार के कचरे के दैनिक संग्रह, भंडारण, निपटान या उपचार के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए।
- 4. वेंटिलेशन, तापमान और आर्द्रता: प्रत्येक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- 1. जहां किसी कर्मचारी को किसी भी रासायनिक, भौतिक या जैविक खतरे के संपर्क में आने की संभावना होती है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो वहां इस तरह के जोखिम के खिलाफ उचित निवारक उपाय किए जाए।
- 2. ऊपर पैराग्राफ 1 में उल्लिखित निवारक उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - (i) जहां भी संभव हो, हानिरहित या कम खतरनाक पदार्थों द्वारा खतरनाक पदार्थों का प्रतिस्थापन; अथवा
  - (ii) संयंत्र, मशीनरी, उपकरण या प्रक्रिया पर लागू तकनीकी उपाय; अथवा
  - (iii) जहां ऊपर दिए गए उप-पैराग्राफ (i) या (ii) का अनुपालन करना संभव नहीं है, वहां व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और सुरक्षात्मक कपड़ों के उपयोग सहित अन्य प्रभावी उपाय निःशुल्क प्रदान किए जाएं।
- 3. जहां कर्मचारियों को किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने की अपेक्षित हो जिसमें एक जहरीला या हानिकारक पदार्थ मौजूद हो या जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो या एक ज्वलनशील वातावरण हो वहां खतरे से बचाव के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं।
- 4. जब भी गर्मी का दबाव, ठंड या गीली स्थिति ऐसी हो कि वे स्वास्थ्य की हानि या अत्यधिक असुविधा का कारण बन सकती हो, तो वहां निवारक उपाय किए जाएं, जैसे:
  - (i) केबिन और कमांड या ड्राइविंग ऑपरेशन के कर्मचारियों के विशेष संबंध में कार्यभार और वर्कस्टेशन का उचित डिजाइन:
  - (ii) विकारों के शुरुआती लक्षणों का पता लगाने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण,;
  - (iii) सुरक्षात्मक उपकरणों की आपूर्ति;
  - (iv) नियमित चिकित्सा निगरानी;
  - (v) सुरक्षात्मक कपड़े प्रदान करना।
- (5) भवन या अन्य सिन्नर्माण कार्य स्थल के सभी कार्य स्थलों पर धुएं और धूम, भाप और धूल को दूर करने के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन, ज्वलनशील या हानिकारक गैसों को पतला करने के लिए तािक उन्हें हािनरिहत बनाया जा सके, पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त हवा प्रदान करने और तापमान या आर्द्रता की ऐसी अत्यिधक वृद्धि को रोकने के लिए जो उसमें कार्यरत व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हािनकारक हो सकता है, के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं;
- (6) जहां भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य स्थल में किए गए कार्य की प्रकृति अत्यधिक उच्च तापमान का होना शामिल है या होने की संभावना है, वहां कर्मचारियों की रक्षा के लिए व्यवहारिक पर्याप्त उपाय किए जाएं, इसके लिए कार्यस्थल से उस प्रक्रिया को अलग किया जाए जो इस तरह के तापमान पैदा करती हो, गर्म भागों को इन्सुलेट करा जाए या अन्य प्रभावी तरीकों को अपनाया जाए।
- (7) हवा की मात्रा, तापमान और आर्द्रता का मापन नियमित रूप से लिया जाए और प्रत्येक वायु माप स्टेशन पर प्रविष्टियों को अद्यतित किया जाए।
- (8) सुरंग में वेंटिलेशन की निम्न व्यवस्था हो: -
  - (i) प्रदूषकों को हटाना (वाहनों की निकास गैसें, धुआं नष्ट करना, धूल) और भूमिगत भवन या अन्य निर्माण कार्य

स्थलों में कार्य बल की आवश्यक भौतिक गतिविधियों के अनुसार जलवायु स्थिति (तापमान, आर्द्रता) की स्थापना और रखरखाव।

- (ii) परियोजना की जटिलता के आधार पर एक विशिष्ट साइट के लिए वेंटिलेशन सिस्टम का विकल्प (सुरंग की लंबाई और व्यास, सिंगल या डबल बोर, शीतलन आवश्यकताएं, मध्यवर्ती मल्टीफ़ंक्शन स्टेशन, आदि)
- (iii) प्राकृतिक या कृत्रिम वेंटिलेशन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि काम की प्रकृति और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रति व्यक्ति और प्रति घंटे पर्याप्त मात्रा में ताजी या शुद्ध हवा को एक क्षेत्र में प्रदान किया जा सके।
- (iv) यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं कि संलग्न परिसरों में हवा में उपयुक्त हाइग्रोमेट्रिक स्तर बनाए रखा जाए।
- (v) सुरंग स्थल पर निम्नलिखित उपकरण होना: -
  - (क) ऑक्सीजन स्तर मापने वाले उपकरण,
  - (ख) ज्वलनशील गैसों को मापने वाले उपकरण लगा होना,
  - (ग) तापमान मापने का उपकरण,
  - (घ) धूल सांद्रता मापने वाले उपकरण और
  - (ङ) जहरीली गैस मापने का उपकरण।
- (vi) उन स्थानों पर स्थित सभी एयर कंप्रेशर्स के लिए वायु आपूर्ति इंटेक पॉइंट जहां इस तरह का इंटेक हवा धूल, धुएं, वाष्प और निकास गैसों या अन्य दूषित पदार्थों से दूषित नहीं होती है।
- 5. धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (iii) के अधीन धूल, हानिकारक गैस, धुएं और अन्य अशुद्धियों के लिए सावधानियां: प्रत्येक भवन एवं अन्य सिन्नर्माण कर्मकारों का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -
- (1) किसी भी गैस, धुएं, वाष्प या धूल के उत्सर्जन को कम करने के लिए आवश्यक कदम जो किसी भी कार्यस्थल पर हवा में प्रवेश कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारियों का श्वसन धूल, गैस, धुएं या वाष्प के संपर्क में एक सीमा तक सीमित हो जो यथोचित रूप से व्यावहारिक है, लेकिन किसी भी मामले में, उन सीमाओं से अधिक नहीं है जो कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो।
- (2) किसी भी कर्मकार से किसी कार्यस्थल या परिरूद्ध स्थान में प्रवेश करने की अपेक्षा नहीं होगी अथवा अनुमित नहीं दी जाएगी, जब तक कि वहां उपस्थित हानिकारक गैस, धुएं, वाष्प या धूल के स्तर को स्वीकार्य सीमा के भीतर लाने के लिए व्यावहारिक उपाय नहीं किए जाते हैं।
- 6. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (v) के तहत पीने योग्य पानी: प्रत्येक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -
  - 1. किसी भी भवन या अन्य निर्माण कार्य स्थल या उसके हिस्से के संबंध में, पीने के उद्देश्य से पानी प्रदान किया जाए और बनाए रखा जाए, जो कर्मचारियों के लिए हर समय पर्याप्त हो और स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यकर है।
  - 2. सामान्य उपयोग के लिए पीने के पानी को केवल बंद कंटेनरों में संग्रहीत किया जाए, जिसमें से नल के माध्यम से पानी निकाला जाए।

- 3. यदि पीने के पानी को कार्यस्थल तक ले जाना है, तो परिवहन टैंक, भंडारण टैंक और वितरण कंटेनर को नियमित अंतराल पर साफ और कीटाणुरहित किया जाए।
- 4. पीने के लिए अयोग्य पानी को स्पष्ट रूप से कर्मचारियों को पीने से रोकने वाले नोटिसों द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया जाए।
- 5. पीने के पानी की आपूर्ति कभी भी ऐसे पानी की आपूर्ति से नहीं जोड़ी जाए जो पीने के लिए अनुपयुक्त है।
- 6. पाइप द्वारा आपूर्ति के अलावा पीने के पानी की कोई भी आपूर्ति उपयुक्त बर्तनों में रखी जाए जिसे हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में स्पष्ट रूप से चिह्नित या प्रदर्शित किया जाए, जो अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाती हो, यह इंगित करने के लिए कि पानी पीने के लिए सुरक्षित है और इस तरह की आपूर्ति को दैनिक रूप से फिर से भर दिया जाए और पानी और बर्तनों को संदूषण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाए हैं:
- 7. सिवाय इसके कि जहां पानी एक राईजिंग जेट द्वारा वितरित किया जाता है, सामान्य पीने के गिलास या कप का उपयोग निषिद्ध है।
- 8. जहां पीने के प्रयोजनों के लिए असुरक्षित पानी निर्माण प्रक्रियाओं या अन्य उद्देश्यों में उपयोग के लिए प्रदान किया जाए, तो इसे हिंदी, अंग्रेजी और ऐसी स्थानीय भाषा में इंगित किया जाए जो अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाती हो।
- 7. **धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (vi) के तहत भीड़:** किसी भवन या अन्य निर्माण कर्मकारों का प्रत्येक नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी भवन या अन्य निर्माण कार्य स्थल या उसके हिस्से पर पर्याप्त प्रावधान किए जाएं, ताकि किसी भी स्थान पर भीड़भाड़ को रोका जा सके जहां कर्मचारियों को भवन या अन्य निर्माण कार्य स्थल परिसर में किसी भी कारण से काम करने या इकट्टा होने की आवश्यकता होती है. जिसमें शामिल हैं:
  - (i) सभी कार्य क्षेत्रों में भीड़भाड़ से संबंधित खतरों को दर्शाने वाले संकेतों या प्रतीकों का डिजाइन और उपयोग, जिसमें किसी भी समय ऐसे स्थानों पर काम करने के लिए अनुमत कर्मकारों की संख्या निर्दिष्ट की गई हो;
  - (ii) वाहनों और पैदल यात्रियों के रास्तों को अलग-अलग रंगों से चिह्नित अवरोधों का उपयोग करके अलग रखा जाए।
  - (iii) वाहनों की तैनाती को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाए और भीड़भाड़ से बचा जाए।
- 8. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (vii) के तहत प्रकाश (रोशनी) प्रत्येक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -
  - (i) उपयोगिता सेवाओं के लिए सभी सुविधाओं सहित भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य स्थल के हर कार्यस्थल के करीब, पर्याप्त और उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था, पोर्टेबल प्रकाश व्यवस्था सहित जहां उपयुक्त हो, हर कार्यस्थल और निर्माण स्थल पर किसी भी अन्य स्थान पर प्रदान की जाए जहां एक कर्मचारी को गुजरना पड़ सकता है।
  - (ii) जहां सुरक्षित काम करने की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, वहां पोर्टेबल प्रकाश व्यवस्था सहित पर्याप्त और उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था हर कार्यस्थल और निर्माण स्थल पर किसी अन्य स्थान पर प्रदान की जाए। जहां एक कर्मचारी को गुजरना पड़ सकता है।

- (iii) कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था, जहां तक व्यावहारिक हो, चकाचौंध या परेशान करने वाली छाया पैदा न करती हो।
- (iv) जहां खतरे को रोकने के लिए आवश्यक हो, लैंप को आकस्मिक टूटने से बचाने के लिए उपयुक्त गार्ड द्वारा संरक्षित किया जाए।
- (v) पोर्टेबल विद्युत प्रकाश उपकरण के केबल बिजली की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त आकार और विशेषताओं के हो और निर्माण कार्यों में गंभीर परिस्थितियों का सामना करने के लिए पर्याप्त यांत्रिक शक्ति के हो।
- 9. **धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (viii) के अधीन शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था:** प्रत्येक **भवन एवं अन्य सिन्निर्माण कर्मकारों का नियोक्ता** यह सुनिश्चित करेगा कि: -
- (1) (i) कारखाने के प्रत्येक कार्य स्थल पर पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और नि:शक्त कर्मचारियों के उपयोग के लिए सुविधाजनक अलग-अलग स्थानों पर पर्याप्त शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था की जाए।
  - (ii) ऐसे आवास में पर्याप्त रोशनी और हवादार व्यवस्था होनी चाहिए तथा उसे हर समय साफ और स्वच्छ रखा जाए।
- (2) (i) शौचालय, मूत्रालय और स्वच्छता ब्लॉकों का फर्श फिसलन रहित स्थिति में रखा जाएं।
  - (ii) शौचालयों, मूत्रालयों और सैनिटरी ब्लॉकों की आंतरिक दीवारों पर चमकदार टाइलें लगाई जाएं। वैकिल्पक रूप से, शौचालयों और मूत्रालयों की आंतरिक दीवारों को इस तरह से तैयार किया जाए कि वे चिकिनी, पॉलिश की हुई और अभेद्य सतह प्रदान करें जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्यपरकता को बढ़ावा मिले;
  - (iii) शौचालयों और मूत्रालयों के सैनिटरी पैन को हर समय धोया हुआ और साफ रखा जाए।
  - (3) प्रत्येक 25 पुरुष और 15 महिला कर्मकारों के लिए कम से कम एक अलग शौचालय की व्यवस्था की जाए और नि:शक्त कर्मकारों और ट्रांसजेंडर कर्मकारों के लिए कम से कम एक अलग शौचालय की व्यवस्था की जाए। साथ ही, एक ही समय में कार्यरत प्रत्येक 15 पुरुष कर्मकारों के लिए कम से कम एक मूत्रालय की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक शौचालय और मूत्रालय में पर्याप्त जल आपूर्ति उपलब्ध हो।
  - (4) नल के पानी सहित वॉशबेसिन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
  - (5) महिलाओं के उपयोग के लिए उनके शौचालयों में पर्याप्त मात्रा में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएं तथा उनका रखरखाव किया जाए तथा इन्हें दैनिक आधार पर भरा जाए।
  - (6) महिलाओं के शौचालयों में इस्तेमाल किए गए सैनिटरी नैपिकन इकट्ठा करने के लिए ढक्कन वाले डिस्पोजेबल कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाए। इस्तेमाल किए गए नैपिकन का सुरक्षित निपटान किया जाए। पुरुषों, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी शौचालयों में ढक्कन वाले डिस्पोजेबल कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाएँगे।
  - (7) प्रत्येक शौचालय को कवर किया जाए तथा इस प्रकार विभाजित किया जाए कि गोपनीयता बनी रहे, तथा उचित दरवाजा, फास्टर्निंग और एग्ज्हॉस्ट हो।
  - (8) जहां पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और नि:शक्त व्यक्ति कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां प्रत्येक शौचालय ब्लॉक के बाहर हिंदी, अंग्रेजी और अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में, जैसा भी मामला हो, "केवल पुरुषों के लिए" या "केवल महिलाओं के लिए" या "केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए" या "केवल नि:शक्त व्यक्तियों के लिए" नोटिस प्रदर्शित किया जाए।

- (9) शौचालयों और मूत्रालयों से निकलने वाले अपशिष्ट और बहि:स्राव का उपचार किया जाए और सुरक्षित तरीके से उसका निपटान किया जाए।
- (10) शौचालयों में पानी के नल
  - i. जहां पाइप द्वारा जल आपूर्ति उपलब्ध है, वहां ऐसे शौचालय में या उसके निकट जल के नल लगाए जाएं; और
  - ii. यदि पाइप द्वारा जल आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो नल या अन्य माध्यम से जल उपलब्ध कराया जाए, ताकि शौचालय और मूत्रालयों में या उनके निकट आसानी से जल उपलब्ध हो सके।

# 10. धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ix) के तहत अपिष्ट और बिह:स्नाव का उपचार:- प्रत्येक भवन एवं अन्य सिन्निर्माण कर्मकारों का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

निर्माण या अन्य श्रमिक कर्मचारियों के सभी नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि:

- (1) इमारत या निर्माण स्थल पर उत्पन्न तरल अपशिष्ट और गैसीय उत्सर्जन को निकालने तथा ठोस कचरे के निपटान के लिए उचित व्यवस्था की जाए।
- (2) हर इमारत या निर्माण स्थल पर कचरे और अपशिष्ट जल के उपचार के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाए, ताकि सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित हो सके।
- (3) अपशिष्टों और बहिस्त्रावों के हैंडलिंग, भंडारण और प्रसंस्करण के साथ खतरों और जोखिमों की पहचान की जाती है और उपयुक्त निवारक और नियंत्रण उपायों को कार्यान्वित किया जाता है।
- (4) अपशिष्ट और अपशिष्टों को संभालने के जोखिम मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) नि:शुल्क प्रदान किए जाते हैं; और
- (5) अपशिष्टों और अपशिष्टों को संभालने वाले कर्मचारियों को पहचाने गए खतरों और जोखिमों के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है।

# 11. धुलाई की सुविधा - धारा 24 की उप-धारा (1) के खंड (i) के तहत: प्रत्येक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- 1. जहां कर्मचारी जहरीले, संक्रामक या पीड़ादायक पदार्थों, या तेल, ग्रीस या धूल से त्वचा के संदूषण के संपर्क में आते हैं, पर्याप्त संख्या में उचित धुलाई सुविधाएं या गर्म और ठंडे पानी के साथ शॉवर-बाथ की सुविधाएं दी जाएं।
- 2. धुलाई सुविधाओं का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाए।
- 3. आसानी से पहुँच वाली जगहों पर पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और निःशक्त कर्मचारियों के लिए अलग-अलग साबुन, तौलिए और पानी की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति उचित और पर्याप्त धुलाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जो इस प्रकार हैं:
  - i. कार्यस्थल से अलग हो;
  - ii. अच्छी तरह हवादार हो;
  - iii. उचित जल निकासी प्रणाली हो;
  - iv. साफ-सुथरी और स्वच्छ स्थिति में हो;

- v. निजता बनाए रखने के लिए अंदर से बंद हो सके और उसमें उचित दरवाजे और ताले हों;
- vi. हिंदी, अंग्रेजी और अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में बाहर उचित संकेत जैसे- "केवल पुरुषों के लिए", "केवल महिलाओं के लिए", "केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए" या "केवल निःशक्त व्यक्तियों के लिए" (जो भी लागू हो) प्रदर्शित हों।
- (4) एक ही तौलिये का इस्तेमाल निषिद्ध है।
  - 12. धारा 24 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के तहत स्नान गृह और लॉकर रूम की व्यवस्था:

प्रत्येक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (1) आसानी से पहुँच वाली जगहों पर पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और निःशक्त कर्मचारियों के लिए अलग-अलग साबुन, तौलिए और पानी की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति उचित और पर्याप्त धुलाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई हो। जो इस प्रकार हैं:
  - (i) कार्यस्थल से अलग हो;
  - (ii) अच्छी तरह हवादार हो;
  - (iii) उचित जल निकासी प्रणाली हो;
  - (iv) साफ-स्थरी और स्वच्छ स्थिति में हो;
  - (v) निजता बनाए रखने के लिए अंदर से बंद हो सके और उसमें उचित दरवाजे और ताले हों;
  - (vi) हिंदी, अंग्रेजी और अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में बाहर उचित संकेत जैसे-"केवल पुरुषों के लिए", "केवल महिलाओं के लिए", "केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए" या "केवल निःशक्त व्यक्तियों के लिए" (जो भी लागू हो) प्रदर्शित हों।
- (2) कार्य की प्रकृति के अनुसार, कार्य के समय पहने जाने वाले कपड़ों और ऐसे विशेष कपड़ों को रखने के लिए, जो कर्मचारी कार्य स्थल पर पहनते हैं लेकिन घर नहीं ले जाते, पुरुषों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर और निःशक्त व्यक्तियों के लिए आसानी से उपलब्ध जगहों पर उपयुक्त और अलग लॉकर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
  - 13. धारा 24 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के तहत कार्य घटों के दौरान पहने न जाने वाले कपड़े रखने की जगह प्रत्येक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -
  - पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए काम के घंटों के दौरान पहने नहीं जाने वाले कपड़ों को रखने और उन्हें सुखाने के लिए उपयुक्त, अलग और पर्याप्त स्थान उपलब्ध हैं।
  - 2. इन स्थानों को वर्करूम से अलग कमरों में रखा जाए।
- 3. गीले कपड़ों को सुखाने और कपड़े लटकाने के लिए एक चेंजिंग रूम प्रदान किया जाए, जिसमें जहरीले, संक्रामक, पीड़ादायक अथवा जहां आवश्यक हो रेडियोधर्मी पदार्थों से संदूषण से बचने के लिए और रोजमर्रा के कपड़ों को काम करने वाले कपड़ों से अलग करने के लिए उपयुक्त लॉकर भी प्रदान किए जाएं।
- 4. जब कर्मचारी ऐसे काम में लगे हों कि उनके काम के कपड़े गीले हो सकते हैं या शिफ्ट के बीच धोने पड़ सकते हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की जाए कि काम पर लौटने पर हर कर्मचारी के पास हमेशा सूखे कपड़े हों।

- 5. 🛾 इन सुविधाओं के साथ-साथ निम्नलिखित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएं
  - (i) पर्याप्त आकार के और उचित वेंटिलेशन वाले व्यक्तिगत लॉकर;
  - (ii) बेंच या बैठने की अन्य उपयुक्त व्यवस्था।
- 14. धारा 24 की उप-धारा (1) के खंड (v) के तहत कैंटीन की व्यवस्था: प्रत्येक भवन एवं अन्य सिन्नर्माण कर्मकारों का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -
- 1. ऐसे प्रत्येक भवन एवं अन्य सिन्नर्माण कार्यस्थल में, जहाँ 100 या उससे अधिक कर्मचारी, जिनमें ठेका श्रमिक भी शामिल हैं, काम करते हैं, भवन एवं अन्य सिन्नर्माण कार्य परिसर में या उसके आस-पास एक कैंटीन प्रदान की जाए जहां कर्मचारियों को पौष्टिक, स्वच्छ और स्वस्थ भोजन उपलब्ध हो।
- 2. भवन एवं अन्य सिन्नर्माण कर्मकारों के नियोक्ता परिसर में या उसके आस-पास एक कॉमन कैंटीन के माध्यम से भी कैंटीन की सुविधा दे सकता है।
- 3. कैंटीन को धूल, धुएं या बदबूदार गैस से बचाने के लिए शौचालय, मूत्रालय और प्रोसेस एरिया से उचित दूरी पर बनाया जाए।
- 4. कैंटीन में कम से कम एक डाइर्निंग हॉल, किचन, स्टोर रूम, पेंट्री और कर्मचारियों के हाथ धोने तथा बर्तन धोने के लिए अलग-अलग जगह हो।
- 5. कैंटीन में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग दरवाजे हो।
- 6. डाइनिंग हॉल
  - डाइर्निंग हॉल को ऐसी किसी भी जगह से अलग रखा जाए जहाँ कोई खतरनाक पदार्थ खाने-पीने की चीज़ों, थालियों या बर्तनों को दूषित कर सकता हो;
  - ii. डाइनिंग हॉल में कर्मचारियों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह हो, ताकि एक समय में ज़्यादा कर्मचारी भी आराम से बैठ सकें:
  - iii. डाइर्निंग हॉल और सर्विस काउंटर का एक हिस्सा अलग करके महिला कर्मचारियों और निःशक्त कर्मचारियों के लिए आरक्षित हो; और
  - iv. पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और निःशक्त कर्मचारियों के लिए अलग-अलग वॉशरूम हों और उनकी निजता का ध्यान रखते हुए उन्हें पर्दे से अलग किया गया हो।

# (7) उपकरण

- (i) भोजन के लिए प्रयोग किया जाने वाला सारा सामान और बर्तन साफ किए जाएं और उन्हें स्वच्छ स्थिति में रखा जाए;
- (ii) फर्नीचर और अन्य उपकरण साफ और स्वच्छ स्थिति में रखे जाएं।

- (8) भोजन का भंडारण, तैयारी और रखरखाव।
  - (i) हर खाद्य प्रबंधक को भोजन से संबंधित ऐसे तरीकों का प्रशिक्षण और निर्देश दिए जाएं जिससे भोजन दूषित न हो; और
  - (ii) कोई भी व्यक्ति जो संक्रामक बीमारी से पीड़ित है, उसे खाद्य प्रबंधक के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी जाए।
- (9) भोजन बनाने की जगह या डाइनिंग हॉल से बचा हुआ खाना और कचरा हटाकर ढके हुए कंटेनर में जमा किया जाए और समय-समय पर उसका निपटान किया जाए।
- (10) खाना, पेय और अन्य सामान बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाए, जिसकी कीमतें कैंटीन प्रबंधन समिति तय करे; और
- (11) कैंटीन में दिए जाने वाले भोजन, पेय और अन्य सामान का प्रति सर्विंग मूल्य कैंटीन में प्रदर्शित किया जाए।
- (12) कैंटीन प्रबंधन समिति
  - (i) निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए एक कैंटीन प्रबंधन समिति का गठन किया जाएं:
    - क. कैंटीन में दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मात्रा;
    - ख. मेनू की व्यवस्था;
    - ग. कैंटीन में भोजन का समय; और
    - घ. कोई अन्य संबंधित मामला

बशर्तें कि, यदि कैंटीन का प्रबंधन बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम,2002 के तहत पंजीकृत किसी सहकारी संस्था द्वारा किया जाता है, तो कैंटीन प्रबंधन समिति को नियुक्त करना आवश्यक नहीं होगा।

- (ii) कैंटीन प्रबंधन समिति में कर्मचारियों और नियोक्ता के प्रतिनिधि बराबर संख्या में हों;
- (iii) नियोक्ता के प्रतिनिधि की नियुक्ति नियोक्ता द्वारा की जाए और
- (iv) कर्मचारियों के प्रतिनिधि को संबंधित वार्ताकार यूनियन या काउंसिल द्वारा नामित किया जाए और यदि कोई यूनियन या काउंसिल नहीं है, तो कर्मचारी स्वयं कैंटीन समिति के लिए अपने प्रतिनिधि चुनेंगे।
- (v) समिति का कार्यकाल आपसी सहमित से तय किया जाएगा। कर्मचारियों और नियोक्ता, दोनों पक्षों के समिति सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में बदले जाएंगे।
- (vi) कैंटीन प्रबंधन समिति, कैंटीन प्रबंधक से परामर्श करके कैंटीन के संचालन के बारे में निर्णय लेगी।
- 15. फर्स्ट एड और मेडिकल उपकरण धारा 24 की उप-धारा (1) के खंड (vii) के तहत: प्रत्येक कारखाने का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (1) हर भवन और सन्निर्माण कार्यस्थल या उसके ऐसे हिस्से में जहां कर्मचारी काम करते हैं, पर्याप्त संख्या में फर्स्ट-एड बॉक्स या अलमारी उपलब्ध हो और उनमें जरूरी सामान हो ताकि काम के समय वे आसानी से उपलब्ध रहें।
- (2) हर शिफ्ट में, हर फर्स्ट-एड बॉक्स या अलमारी की जिम्मेदारी फर्स्ट-एड ट्रीटमेंट का प्रमाणपत्र रखने वाले ऐसे किसी कर्मचारी या सुपरवाइजर को दी जाएगी, जो भवन और सन्निर्माण कार्यस्थल या उसके किसी हिस्से के काम के घंटों के दौरान हमेशा उपलब्ध रहे।

हर विभाग या सेक्शन में कम से कम एक पूरी तरह से सुसज्जित फर्स्ट-एड बॉक्स या अलमारी होनी चाहिए और काम के घंटों के दौरान उसका रखरखाव ठीक से किया जाना चाहिए।

अगर विभाग या सेक्शन में 200 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, तो फर्स्ट-एड बॉक्स की संख्या बढ़ानी होगी। हर फर्स्ट-एड बॉक्स या अलमारी में रखे सामान की एक उदाहरण सूची संलग्नक-l में संलग्न है और नियोक्ता अपनी ज़रूरत के अनुसार और सामान भी रख सकता है।

- (3) किसी भवन और सन्निर्माण कार्यस्थल में कम से कम 33 प्रतिशत कर्मचारियों को फर्स्ट-एड की ट्रेनिंग दी जाए। और हर 3 साल में उन्हें फिर से ट्रेनिंग दी जाए। जहां महिला कर्मचारी काम करती हैं, वहां कम से कम एक महिला कर्मचारी को भी ट्रेनिंग दी जाए। फर्स्ट-एड ट्रेनिंग भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम,1956 की अनुसूची-I, अनुसूची-II या अनुसूची-III के भाग-II में शामिल चिकित्सा योग्यता वाले ट्रेनर द्वारा दी जाए। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम,1956 की अनुसूची-III के भाग-II में शामिल योग्यता वाले व्यक्ति को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 13(3) या 2019 के नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) एक्ट के अध्याय-VI में उल्लिखित शर्तों को भी पूरा करना होगा। इसके अलावा, उनके पास इंडस्ट्रियल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, इमरजेंसी मेडिसिन या समकक्ष में डिप्लोमा या डिग्री भी होनी चाहिए।
- (4) काम के दौरान होने वाली हर चोट या बीमारी की सूचना भवन और सन्निर्माण कार्यस्थल के सुपरवाइजर को दी जाएगी, ताकि चोट या बीमारी पर नजर रखी जा सके। साथ ही, भवन और सन्निर्माण कार्यस्थल में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी, जिन्हें ड्यूटी के दौरान गंभीर चोट लगती है या बीमारी होती है, या जिन्हें फर्स्ट-एडर के अनुसार इलाज की आवश्यकता होती है। ऐसे कर्मचारियों को तुरंत भवन और सन्निर्माण कार्यस्थल या उसके आस-पास के इलाके की नजदीकी डिस्पेंसरी या अस्पताल पहुंचाया जाएगा।
- (5) काम के दौरान चोट लगने पर हर कर्मचारी को यह बात फर्स्ट-एड का प्रमाणपत्र रखने वाले कर्मचारी या सुपरवाइजर को बतानी चाहिए जो घायल व्यक्ति को आवश्यक फर्स्ट-एड उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। यदि चोट लगने वाला कर्मचारी फर्स्ट-एड का प्रमाणपत्र रखने वाले कर्मचारी या सुपरवाइजर को यह जानकारी देने की स्थिति में नहीं है, तो यह उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी जिसे इस घटना के बारे में सबसे पहले पता चलता है कि वह यह जानकारी फर्स्ट-एड का प्रमाणपत्र रखने वाले कर्मचारी या सुपरवाइजर को दे।
- (6) यदि सुपरवाइजर की राय में चोट ऐसी है कि उसे तुरंत किसी योग्य चिकित्सक से इलाज की आवश्यकता है, तो वह तुरंत चिकित्सक को बुलाने की व्यवस्था करेगा या इस बारे में कारखाने के अधिष्ठाता या उसके प्रतिनिधि को सूचित करेगा।
- (7) यह नियोक्ता या भवन और सन्निर्माण कार्यस्थल के प्रतिनिधि का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि कर्मचारी को जल्द से जल्द नजदीकी डिस्पेंसरी/अस्पताल पहुंचाया जाए, बेहतर होगा कि इसके लिए एक उचित एम्बुलेंस वाहन का उपयोग किया जाए।

- 16. धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (i) के तहत एम्बुलेंस कक्ष:- प्रत्येक भवन और सन्निर्माण कार्यस्थल का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -
- (1) पिछले कैलेंडर वर्ष में किसी भी एक दिन 500 से अधिक कर्मचारियों वाले हर भवन और सन्निर्माण कार्यस्थल में, एक उपयुक्त एम्बुलेंस कक्ष या डिस्पेंसरी हो जो 24 घंटे या कार्य समय के दौरान, जैसी भी स्थिति हो, उपलब्ध हो और अच्छी हालत में हो। भवन और सन्निर्माण कार्यस्थल का नियोक्ता आपातकालीन सेवाओं के लिए अस्पतालों से भी समझौता करे।
- (2) एंबुलेंस कक्ष का मतलब है भवन और सन्निर्माण कार्यस्थल परिसर में या उसके आस-पास एक सुविधाजनक स्थान, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए पर्याप्त जगह और सुविधाएं हों और जिसमें कम से कम वह उपकरण हों जो संलग्नक-॥ में दी गई सूची में बताए गए उपकरण हो। नियोक्ता आवश्यकतानुसार और भी सामान जोड़ सकता है।
- (3) एंबुलेंस कक्ष की देखरेख एक पूर्णकालिक योग्य मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा की जाए, जिसे नियोक्ता द्वारा सीधे नियुक्त किया जाए और उसकी सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में पैरामेडिकल स्टाफ (कम से कम एक नर्स और एक जनरल ड्यूटी असिस्टेंट-हेल्थकेयर/नर्सिंग असिस्टेंट) भी हो।
- (4) उप-नियम (3) के तहत नियुक्त किए जाने वाले मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम,1956 की पहली या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग ॥ में शामिल कोई मेडिकल योग्यता होनी चाहिए। तीसरी अनुसूची के भाग ॥ में शामिल योग्यता वाले व्यक्तियों को उक्त अधिनियम के खंड 13(3) में उल्लिखित शर्त या नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) अधिनियम 2019 के अनुसार या इंडस्ट्रियल/ऑक्यूपेशनल हेल्थ में डिप्लोमा/डिग्री या समकक्ष योग्यता पूरी करनी होगी।
- (5) उप-नियम (3) के तहत नियुक्त की जाने वाली योग्य नर्स के पास राज्य नर्सिंग काउंसिल से पंजीकृत योग्यता होनी चाहिए और उसे बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, साथ ही उसे किसी मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल में कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी का अनुभव भी होना चाहिए।
- (6) एम्बुलेंस कक्ष में कम से कम दो कमरे हों। एक कमरे का उपयोग कर्मचारियों के बैठने और दवाओं के भंडारण के लिए किया जाए। दूसरे कमरे का उपयोग बीमारों के लिए आपातकालीन सह ड्रेसिंग रूम/ऑबजर्वेशन कक्ष के रूप में किया जाए।
- (7) एंबुलेंस कक्ष में इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था और एक उपयुक्त संचार उपकरण (संभव हो तो हाथ में रखने वाला डिवाइस) उपलब्ध होनी चाहिए।
- (8) एंबुलेंस कक्ष में काम की प्रकृति के अनुसार, शावर पॉइंट लगाए जाएं, जिनसे पानी की निकासी आसानी से हो सके। लगातार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शावर में पानी की आपूर्ति का प्रबंध किया जाना चाहिए।
- 17. धारा 24 की उप-धारा (2) के (v) और (vi) के तहत रहने का आवास: किसी भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार का प्रत्येक नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों के लिए उनके घरों से दूर निर्माण स्थलों पर उपयुक्त रहने का आवास उपलब्ध कराया जाए, जहां साइट और उनके घरों के बीच पर्याप्त परिवहन या अन्य उपयुक्त रहने का आवास उपलब्ध नहीं है।

# 18 धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन क्रेच सुविधा:- प्रत्येक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों का नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (1) प्रत्येक कारखाने में, जहाँ सामान्यतः 50 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, कर्मचारियों के छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए एक क्रेच सुविधा प्रदान की जाए और उसका रखरखाव किया जाए।
- (2) जहाँ भी आवश्यकता हो, मोबाइल क्रेच उपलब्ध कराया जाए।
- (3) प्रत्येक क्रेच सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए निःशुल्क और सुलभ हो;
- (4) क्रेच यथासंभव कार्यस्थल के भीतर या किसी निकटवर्ती सुलभ स्थान पर स्थित होना चाहिए;
- (5) क्रेच भवन निर्माण स्थल के किसी ऐसे भाग के निकट स्थित नहीं होना चाहिए जहाँ से हानिकारक धुआँ, धूल या दुर्गंध निकलती हो या जहाँ अत्यधिक शोरगुल वाली प्रक्रियाएँ चलती हों;
- (6) क्रेच में या उसके आस-पास बच्चों और उनके कपड़ों की धुलाई के लिए एक उपयुक्त शौचालय हो;
- (7) क्रेच को स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और स्वच्छतापूर्ण स्थिति में रखा जाए;
- (8) बच्चे की व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखा जाए।
- (9) क्रेच बच्चों और शिशुओं की देखभाल के लिए अधिमानतः महिला के अधीन हो;
- (10) क्रेच के प्रभारी, सहायक कर्मचारी और गार्ड का पुलिस सत्यापन अनिवार्य है।
- (11) शिशुगृह के प्रभारी व्यक्ति के पास बच्चे की पहचान, निवास का पता आदि की जानकारी हो और इसका रखरखाव किया जाए।
- (12) शिशुगृह में बच्चे को लाने और छोड़ने वाले व्यक्ति का विवरण देखभालकर्ता के पास उपलब्ध होना चाहिए और बच्चे को केवल उसी व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। यदि कोई अन्य व्यक्ति बच्चे को लेने या छोड़ने जाता है तो माता-पिता की अनुमति के साथ उसकी पहचान आवश्यक होगी।
- (13) सुबह बच्चे के आगमन पर और बच्चे को लेने के समय सभी बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जाए।
- (14) शिशुगृह में रहने के दौरान प्रत्येक बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में साफ कपड़े, साबुन और साफ तौलिए उपलब्ध हों;
- (15) शिश्गृह में आराम करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो;
- (16) सभी बच्चों को उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार पौष्टिक, सम्पूर्ण और स्वास्थ्यकारी भोजन की पर्याप्त आपूर्ति की जाए;
- (17) कैंची, चाकू, ब्लेड, पिन आदि जैसी सभी नुकीली चीज़ें बच्चों से हमेशा दूर रखी जाए।
- (18) डिटर्जेंट, सफ़ाई एजेंट, फ़िनाइल आदि जैसे रसायन बच्चों की पहुँच से दूर रखे जाए।
- (19) शिशुगृह में बचे हुए खाने या अन्य अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए गैर-दहनशील ढके हुए पात्र उपलब्ध कराए जाएं;
- (20) सभी बिजली के स्विच/प्लग बच्चों की पहुँच से दूर रखे जाए।
- (21) निकासी योजना की योजना बनाना और उसे शिश्गृह में प्रदर्शित करना।
- (22) शिशुगृह में किसी भी समय यहाँ तक कि अवकाश के दौरान भी किसी भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा जाए।
- (23) किसी भी प्रकार का मौखिक या शारीरिक दुर्व्यवहार सख्त वर्जित किया जाए।
- (24) किसी भी प्रकार के यौन दुर्व्यवहार और यौन शोषण से पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सख्ती से निपटा जाए।
- (25) पर्यवेक्षक के माध्यम से शिशुगृह के कार्य समय के दौरान किसी भी समय, किसी भी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति को शिशुगृह के अंदर प्रवेश की अनुमित नहीं दी जाए। उदाहरण के लिए सिविल कार्य केवल सप्ताहांत/छुट्टियों के दौरान ही किए जाए।
- (26) शिश्गृह में कार्य समय के दौरान सीसीटीवी निगरानी हो।

- (27) महत्वपूर्ण और आपातकालीन संपर्क नंबर (जैसे 112, 1098, अग्निशमन सेवा, बाल संरक्षण अधिकारी, निकटतम पुलिस स्टेशन आदि जैसी हेल्पलाइन) शिशुगृह परिसर में आसान पहुँच और संदर्भ के लिए प्रदर्शित किए जाएं।
- (28) आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रणाली/कर्मचारी कॉल पर उपलब्ध हो।

# 19. धारा 24(2)(vii) के अंतर्गत मॉक ड्रिल

प्रत्येक भवन और सन्निर्माण कार्यस्थल का नियोक्ता विभिन्न आपात स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए मॉक ड्रिल का त्रैमासिक आयोजन सुनिश्चित करेगा।

संलग्नक - I

नियम 17(2) के तहत फर्स्ट एड बॉक्स की सामग्री की सूची: -

- 1. उचित संख्या में छोटे, मध्यम और बड़े आकार के स्टरलाइज़्ड ड्रेसिंग पैड
- 2. उचित संख्या में बड़े आकार के स्टरलाइज़्ड बर्न ड्रेसिंग पैड
- 3. उचित संख्या में स्टरलाइज़्ड कॉटन के पैकेट
- 4. पर्याप्त मात्रा में सेट्रिमाइड सोल्यूशन (1%-3%) या उपयुक्त एंटीसेप्टिक सोल्यूशन (10% पोविडोन आयोडीन)
- 5. कैंची, ट्वीज़र, टूर्निकेट और डिस्पोजेबल दस्ताने
- 6. अलग-अलग साइज़ के पर्याप्त एडहेसिव टेप और एडहेसिव बैंडेज टेप।
- 7. अलग-अलग साइज़ के पर्याप्त इलास्टिक क्रेप बैंडेज।
- 8. स्टरलाइज़्ड आई पैड।
- 9. एनाल्जेसिक (पैरासिटामोल-650 मिलीग्राम) और एंटासिड स्ट्रिप्स तथा पर्याप्त संख्या में ओआरएस सैशे।
- 10. पेन रिलीफ / एनाल्जेसिक स्प्रे
- 11. पॉलीथीन वॉश बोतलें (सामान्य सेलाइन या डिस्टिल्ड वॉटर)
- 12. अलग-अलग साइज़ के की पर्याप्त रोलर बैंडेज
- 13. उपयुक्त स्पिंलंट।
- 14. रेससिटेशन एक्युपमेंट जैसे एम्बू बैग।
- 15. डिस्प्रिन, सॉर्बिट्टेट जैसी गोलियाँ।
- 16. एंटी-एलर्जिक दवाएँ, आई ड्रॉप्स।
- 17. स्नेक बाइट लेंसेटं
- 18. फर्स्ट एड लीफलेट की एक प्रति जिसमें आस-पास के अस्पतालों के आपातकालीन संपर्क नंबर शामिल हों।

## संलग्नक- II

# नियम 18(2) के अनुसार एम्बुलेंस कक्ष के लिए उपकरणों की सूची:-

- 1. गर्म और ठंडे पानी की आपूर्ति वाला ग्लेज़्ड सिंक
- 2. कुर्सियां एवं मेज़, रेफ्रिजरेटर
- 3. चिकित्सा उपकरणों के स्टरलाइज़ेशन के लिए उपयुक्त सोल्यूशन या उपकरण
- 4. रोगी की जाँच के लिए मेज़ या सोफ़ा जिसमें तिकया, धोने योग्य रबर शीट, कंबल, तौलिया हो
- 5. उचित संख्या में मध्यम आकार के स्पंज फोर्सप्स
- 6. किडनी टे
- 7. एंटीसेप्टिक साबुन
- 8. क्लिनिकल थर्मामीटर
- 9. हैंड टॉर्च
- 10. पर्याप्त संख्या में टिटनस टॉक्सॉइड इंजेक्शन
- 11. गोलियाँ एंटीहिस्टामिनिक, एंटीस्पास्मोडिक, एंटीपायरेटिक (पैरासिटामोल), एंटासिड, एंटीमेटिक्स
- 12. गोलियाँ आइसोसोर्बाइड डाइनिट्रेट (5 मिग्रा), एस्पिरिन (75 मिग्रा) + एटोरवास्टेटिन (20 मिग्रा) + क्लोपिडोग्रेल (75 मिग्रा)
- 13. ओआरएस सैशे
- 14. इंजेक्शन: एट्रोपाइन, एड्रेनालिन, हाइड्रोकोर्टिसोन, फ़्यूरोसेमाइड, लोकल एनेस्थेटिक्स
- 15. अलग-अलग साइज़ के सुई सहित डिस्पोजेबल धारक सुई और नीडल होल्डर
- 16. टांका लगाने वाली सइयाँ और सामग्री
- 17. एक जोड़ी डाइसेक्टिंग फोर्सप्स
- 18. एक जोड़ी ड्रेसिंग फोर्सप्स
- 19. एक जोड़ी आर्टरी फोर्सप्स
- 20. सर्जिकल कैंची
- 21. स्केलपेल
- 22. स्टेथोस्कोप
- 23. रबर बैंडेज प्रेशर बैंडेज
- 24. आवश्यक अटैचमेंट के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर/ऑक्सीजन कंसंट्रेटर
- 25. एक ब्लड प्रेशर मशीन
- 26. उचित संख्या में सामान्य सेलाइन की बोतल, रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन, 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन, 25% डेक्सट्रोज सोल्यूशन।
- 27. हरा (18 जी), गुलाबी (20 जी) और नीला (22 जी) इंट्रावीनस (IV) कैनुला और उपयुक्त फिक्सेटर
- 28. डिस्पोजेबल इंट्रावीनस इन्फुशन सेट
- 29. इंट्रावीनस इन्फ्शन स्टैंड
- 30. ब्लड ग्लूकोस की मोनिटरिंग किट
- 31. वैधानिक आवश्यकता के अनुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन बिन
- 32. पर्याप्त संख्या में उचित आकार के सादे लकड़ी के स्पिंलंट या कोई अन्य उपयुक्त स्पिंलंट
- 33. व्हीलचेयर
- 34. स्कूप स्ट्रेचर
- 35. पर्याप्त छोटे, मध्यम और बड़े आकार के स्टरलाइज़्ड ड्रेसिंग
- 36. पर्याप्त स्टरलाइज़्ड बर्न ड्रेसिंग

- 37. स्टरलाइज्ड कॉटन के पर्याप्त पैकेट
- 38. एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जैसे सेट्टिमाइड (1%-3%) या पोविडोन आयोडीन (10%) सोल्यूशन
- 39. अलग-अलग साइज़ के एडहेसिव बैंडेज और एडहेसिव टेप।
- 40. अलग-अलग साइज़ के इलास्टिक क्रेप बैंडेज
- 41. पर्याप्त मात्रा में स्टेरलाइज़्ड आई पैड।
- 42. अलग-अलग साइज़ के पर्याप्त रोलर बैंडेज।
- 43. टुर्निकेट
- 44. डिस्पोजेबल दस्ताने
- 45. ट्वीज़र
- 46. पल्स ऑक्सीमीटर।
- 47. उपयुक्त सक्शन यूनिट और उपकरण।
- 48. रेससिटेशन उपकरण, जैसे स्वचालित एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर और एम्बू बैग।
- 49. विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार भवन और सन्निर्माण कार्यस्थल चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुशंसित कोई अन्य उपकरण।

[फा. सं. एस.65025/01/2020-आईएसएच-II] आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार

# MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September 2025

G.S.R.709 (E).— The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of powers conferred by Sections 23 & 24 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) are hereby notified as required by sub-section (1) of Section 134, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of 45 days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public; Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Ravishankar Nirala, Under Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment, Room No: 17, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi or by email (fas@dgfasli.nic.in and ravis.nirala@nic.in). The objections and suggestions should be sent in a proforma containing columns (i) specifying the name and address of the persons and organizations and column (ii) specifying the rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (iii) specifying the revised rule or sub-rule proposed to be submitted and the reasons therefore; Objections and suggestions, which may be received from any person or organization with respect to the said draft notification before expiry of a period of 45 days, specified above, will be considered by the Central Government.

Draft Rules prescribed under section 23 & 24 of the OSH&WC Code, 2020 for Building and Other Construction workers.

- 1. Short title, extent and commencement: (i) These rules may be called the Building and Other Construction Workers Rules, 202... under Section-23 & 24 of the Occupational Safety, Health, And Working Conditions Code, 2020.
  - (ii) They extend to whole of India.
  - (iii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette on the date of commencement of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.

- 2. **Definition.** (i) In these rules, unless the context otherwise requires, -
- (a) "Code" means the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020;
- (b) "Officer In charge Canteen" means the person (other than manager) appointed by the occupier, owner or agent for securing compliance with the provision in respect of canteens under the code.
- (c) "Section" means the Section of the Code.
- (d) "Annexure" means lists annexed to these rules;
- (ii) The words and expressions used in these rules and are not defined therein, but are in the Code, shall have respectively meaning assigned to them in the Code.
- **3. Cleanliness and hygiene under clause (i) of sub-section (2) of section 23:** Every employer of a building or other construction workers shall ensure that: -
  - (1) Every building or other construction work site including its premises and surroundings are kept clean and maintained in hygienic and sanitary condition.
  - (2) Place is provided for proper storage of materials and equipment.
  - (3) Scrap, waste and debris are removed at appropriate intervals.
  - (4) Loose materials which are not required for use is not placed or allowed to accumulate on the site so as to obstruct means of access to and egress from workplaces and passageways.
  - (5) Workplaces and passageways that are slippery are cleaned up or strewn with sand, sawdust, ash or the like.
  - (6) Where a floor is liable to become wet in the course of building and other construction works, effective drainage is maintained, kept in dry and non-slippery state and suitable anti-skid footwear free of charge be provided to employees.
  - (7) Suitable arrangements for daily collection, storage, disposal or treatment of every type of waste are made under the effective supervision.
- **4. Ventilation and temperature and Humidity** –Every employer of a building or other construction workers shall ensure that: -
  - (1) Where an employee is likely to be exposed to any chemical, physical or biological hazard to such an extent as is liable to be dangerous to health, appropriate preventive measures are taken against such exposure.
  - (2) The preventive measures referred to in paragraph 1 above are comprise of:
  - (i) the replacement of hazardous substances by harmless or less hazardous substances wherever possible; or
  - (ii) technical measures applied to the plant, machinery, equipment, or process; or
  - (iii) where it is not possible to comply with subparagraphs (i) or (ii) above, other effective measures, including the use of personal protective equipment and protective clothing are provided free of charge.
- (3) Where employees are required to enter any area in which a toxic or harmful substance may be present, or in which there may be an oxygen deficiency, or a flammable atmosphere, adequate measures are taken to guard against danger.
- (4) Whenever heat stress, cold or wet conditions are such that they can lead to impairment of health or extreme discomfort, preventive measures are taken, such as:
  - (i) proper design of the workload and workstation, with special regard to employees in cabins, and command or driving operations;
  - (ii) training, to enable detection of early signs of disorders;

- (iii) supply of protective equipment;
- (iv) routine medical surveillance;
- (v) provide protective clothing.
- (5) Necessary steps are taken to constantly provide at all work places of the building or other construction work site, adequate ventilation to clear away smoke and fume, steam and dust, to dilute gases that are inflammable or noxious so as to render them harmless, to provide air containing sufficient oxygen and to prevent such excessive rise of temperature or humidity which may be harmful to the health of the persons employed therein;
- (6) Where the nature of the work carried out in the building or other construction work site involves, or is likely to involve production of excessively high temperatures, adequate measures as are practicable are taken to protect the employees therefrom, by separating the process which produces such temperatures from the workplace, by insulating the hot parts or by other effective means.
- (7) Measurement of air quantity, temperature and humidity are regularly taken and brought up to date the entries at each air measurement station.
- (8) Ventilation in tunneling has: -
  - (i) Removal of the pollutants (exhaust gases of the vehicles, blasting fume, dust) and establishment and maintenance of a climatic state (temperature, humidity) in accordance with the required physical activities of the work force in the underground building or other construction work sites.
  - (ii) Choice of the ventilation system for a specific site depending on the complexity of the project (tunnel length and diameter, single or double bore, cooling requirements, intermediate multifunction stations, etc.)
  - (iii) natural or artificial ventilation be so designed as to introduce a sufficient quantity of fresh or purified air per person and per hour into an area, considering the nature and conditions of the work.
  - (iv) appropriate measures are taken to ensure that in enclosed premises a suitable hygrometric level in the air is maintained.
  - (v) The following instruments on the tunneling site: -
    - (a) Oxygen level measuring instrument,
    - (b) presence of flammable gases measuring instrument,
    - (c) temperature measuring instrument,
    - (d) dust concentration measuring instruments and
    - (e) toxic gas measuring instrument.
  - (vi) The air supply intake points for all air compressors located at places where such intake air does not get contaminated with dust, fumes, vapor and exhaust gases or other contaminants.
- 5. Precaution against dust, noxious gas, fumes and other impurities under clause (iii) of sub-section
  - (2) of section 23: Every employer of a building or other construction workers shall ensure that: -
  - (1) Such steps as may be necessary for minimizing of emissions of any gas, fume, vapor or dust which may enter the air at any workplace and for ensuring that the exposure of employees to respirable dust, gas, fume or vapor is limited to an extent that is reasonably practicable but, in any case, not exceeding the limits that are harmful to the health of employees.

- (2) No employee is required or allowed to enter any workplace or confined space until all practicable measures have been taken to bring the levels of noxious gas, fume, vapour or dust, which may be present, within the permissible limits.
- **6. Potable drinking water under clause (v) of sub-section (2) of section 23: -** Every employer of a building or other construction workers shall ensure that: -
  - (1) In respect of any building or other construction work site or part thereof, water is provided and maintained for drinking purpose is sufficient for employees at all times and be clean, safe and wholesome.
  - (2) Drinking water for common use is stored only in closed containers from which the water is dispensed through taps.
  - (3) If drinking water has to be transported to the worksite, the transport tanks, storage tanks and dispensing container are cleaned and disinfected at regular intervals.
  - (4) Water that is unfit to drink is conspicuously indicated by notices prohibiting employees from drinking it.
  - (5) A supply of drinking water is never connected to a supply of water that is unfit to drink.
  - (6) Any supply of drinking water other than the piped supply is contained in suitable vessels clearly marked or displayed in Hindi, English and local language understood by the majority of the employees, to indicate that the water is safe for drinking and such supply is replenished daily and all necessary precautions are taken to preserve the water and vessels from contamination;
  - (7) except where the water is delivered by a rising jet, the use of common drinking tumblers or cups is prohibited.
  - (8) Where water unsafe for drinking purposes, is provided for use in construction processes or other purposes, it is to be so indicated in Hindi, English and local language understood by the majority of the employees.
- 7. Overcrowding under clause (vi) of sub-section (2) of section 23: Every employer of a building or other construction workers shall ensure that at any building or other construction work site or part thereof adequate provisions are made, to prevent overcrowding at any place where employees are required to work or assemble for any reason in the building or other construction work site premises, which include:
  - (i) Design and use of signs or symbols that indicate and illustrate overcrowding related hazards in all working areas specifying the number of employees allowed to work at such places at any one time.
  - (ii) Vehicle and pedestrian pathways are kept separated using barriers indicated by distinctive colours and
  - (iii) Deployment of vehicles are managed effectively and overcrowding is avoided.
- **8. Lighting (Illumination) under clause (vii) of sub-section (2) of section23** Every employer of a building or other construction workers shall ensure that: -
  - (i) Close to every workplace of building or other construction work site including all amenities for utility services, adequate and suitable lighting, including portable lighting where appropriate, is provided at every workplace and any other place on the construction site where an employee may have to pass.
  - (ii) Where natural lighting is not adequate to ensure safe working conditions, adequate and suitable lighting, including portable lighting where appropriate, is provided at every workplace and any other place on the construction site where an employee may have to pass.
  - (iii) Artificial lighting, as far as practicable does not produce glare or disturbing shadows.

- (iv) Where necessary to prevent danger, lamps are protected by suitable guards against accidental breakage.
- (v) The cables of portable electrical lighting equipment are of adequate size and characteristics for the power requirements and of adequate mechanical strength to withstand severe conditions in construction operations.
- **9. Latrine and urinal under clause (viii) of sub-section (2) of section23: -** Every employer of a building or other construction workers shall ensure that: -
- (1) (i) In every workplace of building or other construction work site, sufficient latrine and urinal accommodation is provided at conveniently accessible places separately for the use of male, female, transgender and person with disabilities employees.
  - (ii) Such accommodation is sufficiently lighted and ventilated and maintained in a clean and sanitary condition at all times.
- (2) (i) Floor of the latrine, urinal and the sanitary blocks are maintained in non-slippery condition.
  - (ii) the internal walls of the latrines, urinals and the sanitary blocks are laid in glazed tiles. Alternatively, internal walls of the latrines and urinals are finished in such a manner to provide a smooth, polished and impervious surface to facilitate cleanliness and hygiene;
  - (iii)Sanitary pans of latrines and urinals are kept washed and cleaned at all times.
- (3) At least one separate latrine accommodation, for every 25 male and 15 female employees, and at least one separate latrine accommodation each for persons with disabilities employees and for transgender employees is provided and at least one urinal for every 15 males employed at the same time. Sufficient water supply is provided in every latrine and urinal accommodation.
- (4) Washbasin facility with tap water is made available.
- (5) Sanitary napkins in sufficient quantity are provided and maintained in the women's toilets for their use and the same are to be replenished on a daily basis.
- (6) Disposable bins with lids are provided within the women's toilets for the collection of the used sanitary napkins. The used napkins are safely disposed off. Disposable bins with lids shall also be provided within the toilets for men, transgender and person with disabilities..
- (7) Every latrine is kept under cover and so partitioned off as to secure privacy, and to have a proper door, fastenings and exhaust.
- (8) Where male, female, transgender and person with disabilities employees are employed, outside each latrine block a notice "For men only" or "For women only" or "For transgender persons only" or "For persons with disabilities only", as the case may be, in Hindi, English and local language understood by the majority of the employees, are displayed.
- (9) Waste or sullage water from latrines and urinals is treated and safely disposed of.
- (10) Water taps in latrines-
- (i) where piped water supply is available, water taps are to be provided in or near such latrine accommodation; and
- (ii) if piped water supply is not available, water is provided by the means of tap or otherwise so as to be conveniently accessible in or near the latrine and urinals.
- **10. Treatment of waste and effluents under clause (ix) of sub-section (2) of section 23** Every employer of a building or other construction workers shall ensure that: -
  - (1) Proper arrangements are made for discharging liquid effluents and gaseous emission, and for disposal of solid waste generated on the building or construction worksite.

- (2) Effective arrangements are made in every building or construction worksite for the treatment of wastes and effluents by ensuring compliance with the safety and health requirements.
- (3) Hazards and risks with the handling, storage and processing of wastes and effluents are identified and appropriate preventive and control measures are implemented.
- (4) Appropriate personal protective equipment (PPE) based on risk assessment of handling the waste and effluents are provided, free of charge; and
- (5) Employees handling the wastes and effluents are trained on the identified hazards and risks.
- **11. Washing facility under clause (i) of sub-section (1) of section24: -** Every employer of a building or other construction workers shall ensure that: -
  - (1) Where employees are exposed to skin contamination by poisonous, infectious, or irritating substances, or oil, grease or dust, sufficient number of appropriate washing facilities or shower-baths supplied with hot and cold water.
  - (2) Washing facilities are not used for any other purpose.
  - (3) Suitable and sufficient washing facilities at easily accessible places are provided with regular and adequate supply of water including soap, towels separately for male and female, transgenders and persons with disabilities employees, which are:
    - (i) separated from the workplaces;
    - (ii) Well ventilated;
    - (iii) With proper drainage system;
    - (iv) maintained in a sanitary and hygienic condition;
    - (v) capable of being secured from inside to secure privacy and have a proper door, fastenings;
    - (vi) Appropriately demarcated with "For men only" or "For women only", "For transgender persons only" and "For persons with disability" as the case may be, in Hindi, English and local language understood by the majority of the employees, are displayed outside.
  - (4) The use of common towels is prohibited.
- **12. Provisions of bathing places and locker rooms under clause (ii) of sub-section (1) of section24:** Every employer of a building or other construction workers shall ensure that: -
  - (1) Suitable, separate and sufficient bathing places and locker facility, as may be necessary owing to the nature of work, at easily accessible places with regular and adequate supply of water including soap and towels for male, female, transgender and persons with disabilities separately, are provided which are: -
  - (i) separated from the workplaces;
  - (ii) Well ventilated;
  - (iii) With proper drainage system;
  - (iv) maintained in a sanitary and hygienic condition;
  - (v) capable of being secured from inside to secure privacy and have a proper door, fastenings;
  - (vi) Properly demarcated with "For men only" or "For women only", "For transgender persons only" and "For persons with disability" as the case may be, in Hindi, English and local language understood by the majority of the employees, are displayed outside,
  - (2) Suitable, separate locker facilities, as may be necessary owing to the nature of work, at easily accessible places for storing clothing that are worn during working hours and for special clothing which is worn by any employee at work but is not taken home, for male, female, transgender and persons with disabilities.

- **13.** Keeping of cloth not worn during working hour under clause (iii) of sub-section (1) of section-24: Every employer of a building or other construction workers shall ensure that: -
  - (1) Suitable, separate and sufficient installations for male, female, transgender persons and persons with disability for keeping clothes not worn during working hours and drying them are available.
  - (2) These installations are placed in rooms separate from the workrooms
  - (3) A changing room is provided with suitable facilities for drying wet clothes and for hanging clothing including, where necessary to avoid contamination with poisonous, infectious, irritating or radioactive substances and are also provided suitable lockers for separating working clothes from street clothes.
  - (4) When employees are engaged in processes of such a nature that their working clothes are liable to become wet or have to be washed between shifts, suitable arrangements are made to ensure that dry clothes are always available to each employee on his return to work.
  - (5) These facilities are to be provided with—
    - (i) individual lockers of adequate size and with adequate ventilation
    - (ii) benches or other suitable seating arrangements.
- **14. Provision of Canteens under clause (v) of sub-section (1) of section 24:-** Every employer of a building or other construction workers shall ensure that:-
  - (1) At every building or construction work site where in 100 or more workers including contract labourers are ordinarily employed, a canteen in or adjacent to the precincts of the building and construction worksite, is provided and maintained to provide nutritious, wholesome and healthy food for the employees;
  - (2) The employer of building or other construction workers can also provide facility of canteen through common canteen in or adjacent to construction premises;
  - (3) The canteen is situated at appropriate distance from any latrine, urinal and process area to avoid dust, smoke or obnoxious fumes;
  - (4) The canteen is constructed to accommodate at least a dining hall, kitchen, store room, pantry and washing places separately for employees and for utensils.
  - (5) Canteen has separate doors for entry and exit.
  - (6) Dining Hall
    - (i) The dining hall is separated from any place where a hazardous substance may contaminate food, dishes or utensils;
    - (ii) The dining hall is furnished with a sitting arrangement to accommodate sufficient number of employees normally using at any one time;
    - (iii)A portion of the dining hall and service counter is partitioned off and reserved for women employees and persons with disabilities employees; and
    - (iv) Washing places for male, female, transgenders and persons with disabilities employees are separate and screened to secure privacy.
  - (7) Equipment
    - (i) All equipment and utensils that come into contact with food are cleaned and maintained in hygienic condition;
    - (ii) Furniture and other equipment are maintained in a clean and hygienic condition.
  - (8) Storage, Preparation and Handling of food
    - (i) Each food handler is trained and instructed in food handling practices that prevent the contamination of food; and

- (ii) No person who is suffering from a communicable disease is allowed to work as a food handler.
- (9) Food waste and garbage are removed from the food preparation area or dining hall, stored in covered containers and disposed of periodically.
- (10) Food, drink and other items are sold on a no profit no loss basis wherein the rates are fixed by canteen management committee; and
- (11) The charges per portion of food items, beverages and any other items served in the canteen are displayed in the canteen.
- (12) Canteen Management Committee
  - (i) A Canteen Managing Committee is constituted to carry out the following functions:
  - a. the quality and the quantity of food stuffs to be served in the canteen;
  - b. the arrangements of the menu;
  - c. timings of meals in the canteen; and
  - d. any other relevant matter

Provided that where the canteen is managed by a co-operative society registered under the Multi State Co-operative Societies Act, 2002 it shall not be necessary to appoint a Canteen Managing Committee.

- (ii) The Canteen Managing Committee consists of an equal number of representative of employees and employer;
- (iii) the representatives of employer are nominated by the employer and
- (iv) the representatives of worker are nominated by negotiating union or negotiating council as the case may be and where there is no negotiating union or negotiating council the employees will choose amongst themselves the worker representatives of the canteen committee.
- (v) The tenure of the committee shall be determined mutually. One-third of the committee members of employees and employer shall be rotated every two years and
- (vi) The canteen managing committee decides on the running of the canteen in consultation with the canteen manager.

# **15. First-aid boxes and medical appliances under clause (vii) of sub-section (1) of section 24: -** Every employer of a building or other construction workers shall ensure that: -

- (1) In every building or construction work or part thereof where employees are at work, first aid boxes or cup-boards in adequate numbers with necessary items are provided and maintained so as to be readily accessible during working hours.
- (2) In each shift, every first-aid box or cupboard is kept in the charge of a worker or supervisor who holds a certificate in first-aid treatment and who is always be readily available during the working hours of the building or other construction worksite or part thereof.

At least one fully equipped first-aid box or cupboard in every department or section is available and maintained properly all the time during working hours.

The number of first aid boxes has to increase if the number of employees is more than 200 employees in department or section. The illustrative list of contents of every first-aid box or cupboard **is annexed at Annexure- I** and employer may add more items as per requirement.

(3) At least 33 percent of the workers on a building and construction worksite are trained in first-aid procedures and refreshers training to be imparted in every 3 years. Wherever woman workers are employed, at least one-woman worker is trained. First Aid training is conducted by the trainer having medical qualification included in the Schedule- I or Schedule- II or Part- II of the Schedule- III of the Indian Medical Council Act of 1956. The person possessing qualifications included in Part II of Schedule- III of the Indian Medical Council Act of 1956 should also fulfil the condition specified in section 13(3) of the Indian Medical Council Act 1956 or as per the Chapter- VI of National Medical

Commission (NMC) Act 2019, or diploma or degree in Industrial Health, Public Health, Emergency Medicine or equivalent.

- (4) Every case of injury or illness during the course of work is reported to the supervisor on the building and construction worksite for injury and illness surveillance and adequate and suitable arrangements are made available for speedy evacuation or referral of persons employed on the building and construction worksite who while on duty suffers from serious bodily injury or illness of a serious nature or as the nature of injury and illness as decided by the first aider, from the building and construction worksite or part thereof to the nearest dispensary or hospital.
- (5)Every employee receiving an injury during the course of work shall report the same to the worker or supervisor who holds a certificate in first-aid treatment and who shall make arrangements for rendering first-aid to the injured as may be required. Where the employee receiving an injury is not in a position to report the same to the worker or supervisor who holds a certificate in first-aid treatment, it shall be the duty of the person who first comes to know of it to report the same to the worker or supervisor who holds a certificate in first-aid treatment.
- (6) If in the opinion of the supervisor, the injury is of such a nature so as to require immediate medical attention by the qualified medical practitioner, he has to arrange for the qualified medical practitioner to be called or bring it to the notice of the employer or his representative on the building and construction worksite.
- (7) It is the duty of the employer or his representative to ensure that adequate and suitable arrangements are made available for speedy transportation of that employee to nearest dispensary/ hospitals preferably by means of a proper ambulance van.
- **16. Ambulance Room under clause (i) of sub-section (2) of section 24** Every employer of a building or other construction workers shall ensure that: -
  - (1) At every construction and work site employing more than 500 workers on any one day of the preceding calendar year, a suitable ambulance room or dispensary round the clock or during working hours, as the case may be is provided and maintained in good order. The employer of a building or other construction worker may also tie up with hospitals for emergency services.
  - (2) The ambulance room would mean a place conveniently located in or nearby building or construction premises have adequate space and arrangements to cope up with medical emergency and contains at least the equipment as mentioned in **Annexure- II** and employer may add more items as required.
  - (3) Ambulance Room is under the charge of a full time qualified medical practitioner appointed directly by the employer and is assisted by adequate number of paramedical staffs (at least one nurse and one General Duty Assistant-Healthcare/Nursing Assistant).
  - (4) The medical practitioner required to be appointed under sub-rule (3) has a medical qualification included in the I or II schedule or part II of the Third schedule of the Indian Medical Council Act of 1956. Persons possessing qualifications included in part II of Third schedule should also fulfil the condition specified in section 13(3) of the Act or as per the National Medical Commission (NMC) Act 2019 or Diploma/Degree in Industrial/Occupational Health or equivalent.
  - (5) Qualified Nurse required to be appointed under sub-rule (3) shall have qualification registered under State Nursing Council and completed training in Basic Life Support (BLS) along with experience in emergency of not less than 6 months duration from a multispecialty hospital.
  - (6) Ambulance Room is having a minimum of two rooms. One of the rooms is used for sitting of staff and storage of medicines. The other room is used as emergency cum dressing room/observation room for sick.
  - (7) Ambulance Room is provided with Emergency Lighting Supply and a suitable communication medium preferably handheld device.

- (8) Ambulance Room is provided with drenching shower points with drainage sloping away from the showers. Water supply to drenching shower should be secured to ensure the continuous water supply.
- 17. Living accommodation under (v) & (vi) of sub-sections (2) of section 24: Every employer of a building or other construction workers shall ensure that suitable living accommodation are made available for the workers at construction sites remote from their homes, where adequate transportation between the site and their homes or other suitable living accommodation is not available.
- **18.** Crèche Facility under sub-section (3) of section 24: Every employer of a building or other construction workers shall ensure that: -
  - (1) In every building or construction worksite wherein more than than 50 workers are ordinarily employed, a crèches facility is provided and maintained for the use of children under the age of six years of employees
  - (2) Mobile crèche is provided, wherever required.
  - (3) Each Crèche facility is free and accessible to all employees;
  - (4) The Crèche is located within the workplace as much as possible, or in a nearby accessible location;
  - (5) The Crèche is not situated in close proximity to any part of the building and construction worksite where obnoxious fumes, dust or odours are given off or in which excessively noisy processes are carried on;
  - (6) There is in or adjoining the crèche a suitable washroom for the washing of the children and their clothing;
  - (7) The Crèche is maintained in a clean, hygienic and sanitary condition;
  - (8) Personal cleanliness of the child is maintained.
  - (9) The Crèche is under the charge preferably woman for the care of children and infants;
  - (10) Police verifications of in charge of creche, support staff and guard are mandatory.
  - (11) The person in charge of the crèche should have and maintain information about the child's identity, residential address etc.
  - (12) Details of the person who is picking up and dropping the child to the creche should be available with the caretaker and the child should be handed over to that person only. In case any other person picks up or drops the child, then his/her identity with the authorization from parents would be necessary.
  - (13) Attendance of all children is taken in the morning on the child's arrival as well as at the time when child is picked up.
  - (14) Sufficient supply of clean clothes, soaps and clean towels is available for each child while the child is in the Crèche;
  - (15) The Crèche is furnished with a suitable number of resting arrangements;
  - (16) Sufficient supply of nutritious, wholesome and healthy food to all children as per their dietary requirements is provided;
  - (17) All sharp objects like scissors, knives, blades, pins etc. are always kept away from the children.
  - (18) Chemicals such as detergents, cleaning agents, phenyl etc. are kept out of the child's reach
  - (19) The Crèche is provided with non-combustible covered receptacles for the disposal of waste food or other waste material;
  - (20) All electrical switches/plugs are out of children's reach.
  - (21) Planning of evacuation plan and display of the same at the crèche.
  - (22) No child is left alone at any point in the crèche, even during breaks.

- (23) Any kind of verbal or physical abuse is strictly prohibited.
- (24) Any kind of sexual abuse and sexual exploitation to be strictly dealt under POCSO Act.
- (25) Through the supervisor, that no persons, known or unknown be allowed inside the crèche at any point of time, during the functioning hours of the crèche. For example, civil work should preferably be done preferably during weekend/holidays only.
- (26) The Crèche has CCTV monitoring during the working hours.
- (27) Important and emergency contact numbers (helplines like 112, 1098, fire services, child protection officer, nearest police station etc.) are displayed within the creche premises for easy access and reference.
- (28) Required Medical support system / staff is made available on call.

## 19. Mock Drills under section 24 (2) (vii)

The employer of every building and construction worksite shall ensure quarterly conduct of Mock drills to check emergency preparedness to deal with various emergencies.

#### **ANNEXURE-I**

### LIST OF CONTENTS OF FIRST AID BOX

as provided under Rule 17(2):-

- 1. Appropriate number of small, medium and large sized sterilized dressings pads
- 2. Appropriate number of large size sterilized burn dressings pads
- 3. Appropriate number of packets of sterilized cotton
- 4. Sufficient quantity of Cetrimide solution (1%-3%) or a suitable antiseptic solution (10% Povidone Iodine)
- 5. Pair of scissors, Tweezers, Tourniquet and disposable gloves
- 6. Adequate adhesive Tapes and adhesive Bandage Tape of different sizes.
- 7. Adequate Elastic crepe bandages of different sizes.
- 8. Sterilized eye pads.
- 9. Strips containing analgesic (Paracetamol-650 mg) and Antacid and adequate number of ORS Sachets.
- 10. Pain relief / analgesic spray
- 11. Polythene wash bottles (Normal Saline or Distilled Water)
- 12. Adequate Roller bandages of different sizes.
- 13. Suitable splints.
- 14. Resuscitation equipment such as ambu bag.
- 15. Tablets such as Disprin, Sorbitrate.
- 16. Anti-allergic medicine, eye drops
- 17. Snake Bite Lancent
- 18. One copy of First-aid leaflet which includes emergency contact numbers of nearby hospitals.

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 27

#### **ANNEXURE- II**

#### LIST OF EQUIPMENTS FOR AMBULANCE ROOM

as provided under Rule 18 (2):-

- 1. Glazed sink with hot and cold-water supply
- 2. Table with Chairs, Refrigerator
- 3. Suitable solution or Equipment for medical instruments sterilization
- 4. Patient Examination table or couch with pillow, Washable Rubber Sheets, Blankets, Towels
- 5. Appropriate number of medium size sponge forceps
- 6. Kidney tray
- 7. Antiseptic soaps
- 8. Clinical thermometers
- 9. Hand torch
- 10. Adequate number of tetanus toxoid injection
- 11. Tablets Antihistaminic, Antispasmodic, Antipyretic (Paracetamol), Antacid, Antiemetics
- 12. Tablets-Isosorbide Dinitrate (5 mg), Aspirin (75mg) + Atorvastatin (20mg) + Clopidogrel (75mg)
- 13. ORS Sachets
- 14. Injection: Atropine, Adrenalin, Hydrocortisone, Furosemide, local anaesthetics
- 15. Disposable Syringes with needles of different sizes and needle holder
- 16. Suturing needles and materials
- 17. Pair of dissecting forceps
- 18. Pair of dressing forceps
- 19. Pair of artery forceps
- 20. Surgical scissors
- 21. Scalpel
- 22. Stethoscope
- 23. Rubber bandage pressure bandage
- 24. Oxygen cylinder/Oxygen Concentrator with necessary attachments
- 25. One Blood Pressure apparatus
- 26. Appropriate number of Normal Saline Bottle, Ringer Lactate Solution, 5% Dextrose Solution, 25% Dextrose Solution.
- 27. Green (18G), Pink (20G) and Blue (22G) Intravenous (IV) Cannula and suitable fixator
- 28. Disposable Intra venous Infusion Set
- 29. Intravenous Infusion Stand
- 30. Blood Glucose Monitoring Kit
- 31. Biomedical Waste Management Bins as per statutory requirement
- 32. Adequate number of Plain wooden splints of appropriate sizes or any other suitable splints
- 33. Wheelchair
- 34. Scoop stretcher
- 35. Adequate small, medium and large sterilized dressings

- 36. Adequate sterilized burn dressings
- 37. Adequate packets of sterilized cotton
- 38. Antiseptic solution like Cetrimide (1%-3%) or Povidone Iodine (10%) solution
- 39. Roll of adhesive bandages and adhesive Tapes of different sizes.
- 40. Elastic crepe bandages of different sizes.
- 41. Adequate Pieces of sterilized eye pad.
- 42. Adequate roller bandages of different sizes.
- 43. Tourniquet
- 44. Disposable gloves
- 45. Tweezers
- 46. Pulse Oximeter.
- 47. Suitable Suction unit with equipment
- 48. Resuscitation equipment such as Automated External Defibrillator and ambu bag.
- 49. Any other equipment recommended by the Building or Other Construction Worksite Medical Officer according to the specific need.

[F. No. S.65025/01/2020-ISH-II]

ALOK CHANDRA, Senior Labour & Employment Advisor